राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1593/2021

राजाबाबू **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.03.2021

आदेश की दिनांक : 12.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति की दिनांक से पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ वास्तविक भुगतान एवं शेष राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति वार्ड वॉय के पद पर दैनिक वेतन के आधार पर दिनांक 13.06.1990 को सीएचसी, सामोद नियुक्त किया गया। अपीलार्थी ने उक्त पद की सीधी भर्ती परीक्षा में भी आवेदन किया, परंतु उसका चयन नहीं हुआ। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4582/1995 प्रस्तुत

की, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 09.04.2009 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 19.08.1993 से समस्त पारिणामिक लाभ एवं वरिष्ठता में काल्पनिक लाभ दिए जाने के आदेश फरमाए। उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 06.05.2010 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 20.01.1994 से मानी गई और उसका वेतन निर्धारण भी किया गया। अपीलार्थी दिनांक 31.10.2019 को सेवानिवृत्त हो गया। उसे लीव एनकेशमेण्ट की स्वीकृति दिनांक 31.10.2019 को दे दी गई। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब किए जाने के जिम्मेदार प्रत्यर्थी विभाग होंगे। नियम, 1989 एवं 1996 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी विलम्ब भुगतान किए जाने पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु आज तक अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ आदि का भुगतान नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियुक्ति देते हुए समस्त लाभ दिए गए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ आदि का भुगतान अपीलार्थी को नहीं किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 10.02.2021 को भिजवाया और प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति की दिनांक से पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ वास्तविक भुगतान एवं शेष राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2010 के द्वारा वार्ड वॉय के पद पर कार्यग्रहण तिथि दिनांक 20.01.1994 से मानी गई है और दिनांक 31.10.2019 को अपीलार्थी सेवानिवृत्त हुआ है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच नहीं है। चिकित्सा अधीक्षक हरिबख्श कावंटिया चिकित्सालय, जयपुर के आदेश दिनांक 31.10.2019 के द्वारा अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति पर इनके अवकाश खाते में बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान करने हेतु आदेश किया गया। पेंशन विभाग द्वारा लगाए गए आक्षेप की पूर्ति निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को पत्र लिखा जा चुका है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति वार्ड वॉय के पद पर दैनिक वेतन के आधार पर दिनांक 13.06.1990 को हुई थी। अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4582/1995 प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 09.04.2009 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 19.08.1993 से समस्त पारिणामिक लाभ एवं वरिष्ठता में काल्पनिक लाभ दिए जाने के आदेश दिए गए, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 06.05.2010 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 20.01.1994 से मानी गई और उसका वेतन निर्धारण भी किया गया और अपीलार्थी दिनांक 31.10.2019 को सेवानिवृत्त हो गया। उसे लीव एनकेशमेण्ट की स्वीकृति दिनांक 31.10.2019 को दे दी गई। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के लाभ आदि का भुगतान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 04.05.2010 (अनुलग्नक–3) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2009 की अनुपालना में वार्ड वॉय के पद पर वेतन श्रृंखला 4750–7440 ग्रेड पे 1300 में नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन किया गया। आदेश दिनांक 06.05.2010 के द्वारा वेतन निर्धारण किया गया और आदेश दिनांक 27.05.2019 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 31.10.2019 को राज सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.10.2019 के द्वारा उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच आदि लम्बित है। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित किया जा रहा है। जबकि किसी भी कार्मिक को सेवानिवृत्ति पश्चात् समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाने में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जा सकता। अनावश्यक रूप से कार्मिक के पेंशन प्रकरण को रोकने पर एवं भुगतान आदि विलम्ब से किए जाने पर कार्मिक भुगतान राशि पर ब्याज सहित राशि प्राप्त करने का हकदार है। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवा आदि का लाभ का भुगतान किए जाने में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है, जो सेवा नियमों के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को राज सेवा से सेवानिवृत्त होने पर उसे समस्त सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन परिलाभ आदि का नियमानुसार भुगतान किया जावे तथा शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज भी दिया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)